

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्रमांक-प. 5(31) साप्र/3/82

जयपुर, दिनांक 19-04-2012

—:आज्ञा:—

शासन सचिवालय में कार्यरत शासन सहायक सचिव एवं अनुभागाधिकारी को उनके कार्य प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये निवासीय टेलीफोन अथवा मोबाइल फोन के बिलों के पुर्नभरण की सुविधा निम्नानुसार वर्णित तालिका एवं शर्तों के साथ उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

| क्र.सं. | पदनाम | दरें प्रतिमाह |
|---------|-----------------|---------------|
| 1. | शासन सहायक सचिव | ₹ 500/- |
| 2. | अनुभागाधिकारी | ₹ 400/- |

शर्तें :-

1. निवासीय टेलीफोन अथवा पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन स्वयं सम्बन्धित अधिकारी के नाम से होगा तथा मोबाइल हैण्डसेट एवं निवासीय टेलीफोन यंत्र भी स्वयं का निजी होगा।
2. निवासीय टेलीफोन अथवा मोबाइल फोन पर उक्त तालिका में वर्णित सीमा तक ही बिलों का पुर्नभरण राजकोष से देय होगा तथा वास्तविक व्यय कम होने पर पुर्नभरण वास्तविक व्यय सीमा तक ही देय होगा। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय होने पर अधिक व्यय राशि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा स्वयं वहन की जायेगी।
3. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.08.11 के तहत जिन शासन सहायक सचिवगण/अनुभागाधिकारीगण को टेलीफोन+मोबाइल+इन्टरनेट (ब्राडबैंड) की सुविधा अनुज्ञेय है वह यथावत रहेगी।
4. बिलों का भुगतान सम्बन्धित टेलीफोन धारक द्वारा निजी तौर पर किया जाकर पुर्नभरण के लिये मूल बिल एवं बिल जमा की रसीद विधिवत् रूप से सत्यापित कर मुख्यलेखाधिकारी, शासन सचिवालय को अपनी खाता सं० अंकित करते हुये दो प्रतियों में सीधे ही प्रेषित की जावेगी तथा एक प्रति सूचनार्थ बिल की प्रति सहित इस विभाग को भी पृष्ठांकित की जावे।

यह आदेश वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. सं० 101200997 दिनांक 10.4.12 के द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(तपेश पवार)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1- निजी सचिव मा. राज्यपाल/मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
- 2- निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण/संसदीय सचिवगण।
- 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
- 4- निजी सचिव, सामस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।
- 5- उप शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग।
- 6- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेशों के अनुसरण में निर्धारित मासिक वित्तीय सीमा तक के बिलों का पुर्नभरण/भुगतान कराये जाने से पूर्व कृपया संदर्भित आदेशों की शर्तों की पालना आवश्यक रूप से सुनिश्चित कराली जाये।
- 7- कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 8- वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग।
- 9- रक्षित पत्रावली।

(राजीव जैन)

उप शासन सचिव